

13 <sup>10</sup>/<sub>25</sub>

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। पत्रावली के अनवान के अनुसार तीन बार आवार्जें लगाई जाने के बावजूद वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। लिहाजा पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार लेकर नंबर से कम हो।



सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली